न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 641 सन 2020 / ऑन लाईन नम्बरः–2020 / 01045
अनवान :–

1. दर्शनसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरदेवसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. तारसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बलदेवसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीलवा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 113 की कुल 5.5660हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर परिवारिक समझौता किया जाकर सयुक्त खाते की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है एवं अपने अपने हक हिस्सा की भूमि की सीव डोल अलग अलग कायम कर ली है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा का विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है एवं उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य हे जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये बाहमी बटवारा किया गया है उसी के अनुसार काबिज है व काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 2 मे दर्ज है उसी के अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 113 की कुल 5.5660हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर परिवारिक समझौता किया जाकर सयुक्त खाते की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है एवं अपने अपने हक हिस्सा की भूमि की सीव डोल अलग अलग कायम कर ली है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा का विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है एवं उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 113 की कुल 5.5660हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य हे जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये बाहमी बटवारा किया गया है उसी के अनुसार काबिज है व काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 2 मे दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ,2 के मध्य वाद की मद सख्या 2 के अनुसार हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार एंव आपसी सहमति से सयुक्त खाते की भूमि का बाहमी बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी संख्या 1 दर्शनसिह रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405(117) किला न0 11/2 की दक्षिण पासा की 0.01265हैक किला न0. 12/2 की दक्षिण पासा की 0.02530हैक किला न0 13/2 की दक्षिण पासा की 0.02530हैक किला न0 18/0.253 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 कुल 1.58125हैक भूमि रहेगी।

वादी संख्या 2 गुरदेवसिह रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405 (117) के किला न0 5/0.2530 ,6/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,25/0.2530 , कुल 1.2560हैक भूमि रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 1 तारसिह के पास रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405(117) के किला न0 8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/1 की उतरी पास की 0.24035हैक किला न0 12/1 की उतरी पासा की 0.2277 हैक किला न0 13/1 की उतरी पासा की 0.2277हैक कुल 1.1891हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 बलदेवसिह के पास रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405(117) के किला न0 4/0.2530 ,7/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,24/0.2530 कुल 1.2650हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. दर्शनसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरदेवसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. तारसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बलदेवसिह पुत्र कालासिह जाति बाजीगर निवासी खुईया मलकाना हाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 641 सन 2020 निर्णय दिनांक–23/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 दर्शनसिह रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405(117) किला न0 11/2 की दक्षिण पासा की 0.01265हैक किला न0. 12/2 की दक्षिण पासा की 0.02530हैक किला न0 13/2 की दक्षिण पासा की 0.02530हैक किला न0 18/0.253 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 कुल 1.58125हैक भूमि रहेगी।

वादी संख्या 2 गुरूदेवसिह रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405 (117) के किला न0 5/0.2530 ,6/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,25/0.2530 , कुल 1.2560हैक भूमि रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 1 तारसिह के पास रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405(117) के किला न0 8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/1 की उतरी पास की 0.24035हैक किला न0 12/1 की उतरी पासा की 0.2277 हैक किला न0 13/1 की उतरी पासा की 0.2277हैक कुल 1.1891हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 बलदेवसिह के पास रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 310/405(117) के किला न0 4/0.2530 ,7/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,24/0.2530 कुल 1.2650हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर